

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, महागामा

क्रि० मि० केश नं०- 78/18.....


थाना -
महागामा

नवीन कुमार ^{बनाम} जयसवाल सीतेश मंडल

सा० -
24.5.18 मल

धारा- 107 द० प्र० सं०

<p>थाना प्रभारी, <u>महागामा</u> के अप्राथमिकी सं० <u>67/17</u> धारा-107 द० प्र० सं० के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि <u>जमीन विवाद</u> संबंधी विवाद को लेकर तनाव व्याप्त है एवं शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है।</p> <p>अतः थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर <u>3721</u> पक्ष के सभी सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं० की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है। तदनुसार नोटिस निर्गत करें, कि दिनांक <u>4.5.18</u> को <u>3721</u> पक्ष मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण-पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं एक साल तक शांति कायम रखने के लिए प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये का बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।</p>	<p style="text-align: center;">(17) 107</p> <p>4.5.18 11.5.18 24.5.18 31.5.18 8.6.18 27.6.18 4.7.18 18.7.18 28.7.18</p>
--	---


 अनुमंडल दण्डाधिकारी,
 महागामा।

4.5.18
11.5.18

प्रथम पक्ष की हजरी कालनामा के साथ पक्षी
 दस्तावेज पत्र अलग।

दिनांक 24.5.18 को रखा

अनुमंडल